न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2028–दो/16 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13–05–2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 382/2002–03/अपील

......

1– रामप्रसाद तनय हनुमान वैसवार
2– सुरेन्द्र प्रसाद तनय रामप्रसाद वैसववार
3– रामप्रकाश तनय लक्ष्मण वैसवार
निवासीगण – ग्राम महदेइया, तह0 चितरंगी
जिला–सीधी, म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– अनुज प्रसाद तनय अतिवल वैसवार
2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला–रीवा, म0प्र0

......................अनावेदकगण

....

श्री एस0एल0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

....

आदेश

(आज दिनांक 8-7-16 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 382/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 13–05–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार चितरंगी के समक्ष म0प्र0 भू0राजस्व संहिता की धारा 116 के अन्तर्गत एक आवेदन–पत्र विवादित भू–भाग क्रमांक 265 रकबा 0.37 एवं 267 रकबा 0.44 हे0 म0प्र0 शासन की भूमि है पर कब्जा दर्ज किये जाने का प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्र0 10/अ–6–अ/2002–03 पर

दर्ज किया गया । पटवारी से प्रतिवेदन दिनांक 2.11.2002 को मंगाया गया । उक्त प्रतिवेदन में केवल भू–भाग क्रमांक 265 एवं 267 का हवाला है । जिस पर आवेदक रामप्रसाद भूमिस्वामी अभिलेख दर्ज है । अनावेदक द्वारा दूसरा आवेदन–पत्र भू–भाग सर्वे क्रमांक 250 रकबा 0.29 एवं 251 रकबा 0.01 का प्रतिबंद लगाये जाने के बाद कब्जा दर्ज किये जाने का प्रस्तुत किया, परन्तु दावे में कोई संशोधन नहीं किया गया । दूसरा प्रतिवेदन दिनांक 08.11.2002 को दिया गया। पटवारी प्रतिवेदन में टीप टयल में उन्हीं व्यक्ति के हस्ताक्षर है जो संदेहास्यक प्रतीत होते है । पेशी दिनांक 30.09.2002 लिखी गई, जिसमें दिनांक 24.10.2002 अंकित है । दिनांक 24.10.2002 को न लिया जाकर दिनांक 8.11.02 को लिया जाकर आदेश दिनांक 12.11.2002 को पारित किया गया । आवेदक को कोई सूचना–पत्र जारी होना नहीं पाया गया है ।

आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.11.2002 के विरूद्ध अपील क्रमांक 75/2002--03 अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 19.5.2003 के द्वारा तहसीलदार के आदेश निरस्त कर आवेदकगण की अपील स्वीकार की गई । अनावेदक द्वारा आदेश दिनांक 19.05.2003 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील क्रमांक 382/2002–03 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.05.16 को अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.11.2002 की पुष्टि की । आवेदकगण रामप्रसाद द्वारा अपर आयुक्त संभाग रीवा के आदेश दिनांक 13.05.16 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया गया है ।

4/ प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । अनावेदक अनुज प्रसाद द्वारा नायब तहसीलदार चितरंगी के समक्ष एक आवेदन पत्र भूमि भाग क्र0 265/1 रकबा 0.37 है0 एवं 267 रकबा 0.44 है0 पर धारा 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कब्जा दर्ज किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्र0 10/अ–6–अ/2002–03 पर दर्ज किया गया। जिस पर पटवारी प्रतिवेदन की मांग की जो दिनांक 02.11.2003 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक रामप्रसाद भूमिस्वामी अभिलेख दर्ज पाया गया है । पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त होने के

पश्चात दूसरा आवेदन पत्र भू–भाग क्र0 250 रकबा 0.29 है0 एवं 251 रकबा 0.01 का प्रस्तुत किया, जिसका उक्त दावे में कोई संशोधन आदेश भी नहीं है । आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र0 58/56–57 आदेश दिनांक 31.08.56 को आदेश की प्रति द्वारा आवेदक भू0 आराजी क्र0 76 रकबा 3.00 है0 का व्यवस्थापन किया गया है, री–नम्बरिंग सूची वर्ष 2002–03 के अनुसार आराजी भू–भाग 76 के टूकड़े से 265 एवं 267 निर्मित किया गया है । भू–भाग 76 से री–नम्बरिंग सूची वर्ष 2002–03 से यह भी स्पष्ट होता है कि जब भू–भाग 76 के रकबा कई टुकड़े 262 से 269 तक नये नम्बर निर्मित किये गये है तब 265 एवं 267 अन्य भू–भाग से निर्मित नहीं किये जा सके है ।

5/ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष धारा 115/116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कब्जा दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा धारा 116 के अन्तर्गत त्रुटि सुधारने का त्रुटि इन्द्राज दिनांक से 1 वर्ष के अन्दर हो सुधार किया जा सकता है एवं धारा 114 म0प्र0भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत निर्मित नियमों का भी पालन नहीं किया गया है जो न्याय दृष्टांत–2006 राजस्व निर्णय –104 एवं 2005 राजस्व निर्णय–37 तथा 2002 राजस्व निर्णय– 59 से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार चितरंगी की कन्टूनेशन आदेश शीट दिांक 30.09.2002 पेशी दिनांक 24.10.2002 नियत, दिनांक 8.11.02 एवं 12.11.02 से स्पष्ट है कि आवेदक रामप्रसाद को कोई नोटिस नहीं दिया गया । सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित है ।

6/ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष बन्दोबस्त में हुई त्रुटि एवं त्रुटि आदेश के सम्बन्ध में कोई अपील एवं निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही रामप्रसाद को हुये व्यवस्थापन आदेश दिनांक 31.08.1956 को भी चैलेन्ज नहीं किया गया है । त बवह अन्तिम हो गये है ।

7/ प्रकरण के अवलोकन पश्चात अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवसर के प्रकरण अपील क्र0 73/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2003 के द्वारा नायब तहसीलदार चितरंगी द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 114 एवं 115 तथा 116 के अन्तर्गत निर्मित नियमों का पालन न किया जाना पाया गया है ।

8/ अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सम्भाग रीवा के प्रकरण अपील क्र0 382/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 13.05.16 के अवलोकन से पाया गया कि बन्दोबस्त में हुई त्रुटि के आदेश के सम्बन्ध में कोई अपील एवं निगरानी तथा आवेदक रामप्रसाद के व्यवस्थापन के

आदेश दिनांक 31.08.1956 जो अन्तिम है के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है । माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के प्रकरण क्र0 95ए/04 आदेश दिनांक 23.03.06 एवं माननीय अपर जिला न्यायाधीश के प्रकरण क्र0 9ए/08 एवं 42ए/2010 आदेश के आदेश दिनांक 29.07.11 के अवलोकन से पाया गया है कि वाद प्रश्नों का निर्णय करते समय आदेश के पैरा 21 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जिसमें आवेदक एवं अनावेदक अनुज प्रसाद एक ही स्थान पर खड़े है । आवेदक एवं अनावेदक को किसी प्रकार की कोई मद्द नहीं मिल रहा है और न ही माननीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 114 एवं 115, तथा 116 के निर्मित नियमों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है । जबकि धारा 116(ए) में सिविल न्यायालयों को भू–अभिलेख में शुद्धि करने का निर्देश देने की अधिकारिता नहीं है । यह अधिकारिता केवल राजस्व न्यायालयों को है, जो न्याय दृष्टांत 1995 रा0नि0 –142 (उच्च0 न्यायालय) एवं 1968 जे0एल0जे0–51 से स्पष्ट है और माननीय न्यायालय द्वारा केवल नायब तहसीलदार के आदेश के आधार पर आदेश पारित किया गया और न ही अनावेदक अनुज प्रसाद को भूमि स्वामी घोषित नहीं किया गया है । माननीय अपर जिला न्यायाधीश को आदेश दिनांक 29.07.11 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रचलित है । तब ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों से न्यायालय में निगरानी स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी जिला–सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2003 न्यायोचित होने से स्थिर रखा जाता है ।

अतएव उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त सम्भाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.16 एवं नायब तहसीलदार चितरंगी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.02 निरस्त किये जाते है । निगरानी स्वीकार की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर